

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 6147/2025

Dashrath Singh

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Manish Vyas

For Respondent(s) : Mr. NS Chandawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE MUKESH RAJPUROHIT

Order

27/08/2025

कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार एक्स्ट्रा सेट आज दिनांक तक पेश नहीं किये गये हैं।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता दो सप्ताह में एक्स्ट्रा सेट पेश करें जो पेश होने पर प्रत्यर्थी संख्या 2 को चार सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी करें, जिसकी तामील संबंधित थानाधिकारी के जरिए करवाई जावे।

संबंधित थानाधिकारी आगामी तारीख पेशी पर नोटिस तामील की रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष विद्वान लोक अभियोजक के जरिये पेश करे।

विद्वान लोक अभियोजक को निर्देश दिया जाता है कि प्रकरण की केस डायरी/तथ्यात्मक रिपोर्ट आगामी तारीख पेशी पर निश्चित रूप से प्रस्तुत करे।

प्रकरण को छः सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

अंतरिम आदेश यदि कोई पारित किया गया हो तो वह आगामी तारीख पेशी तक प्रभावी रहेगा।

(MUKESH RAJPUROHIT),J